संख्या- 02/2021/1864/24-1-20-862(बजट)/2014

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अतिरिक्त राजस्व अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1815/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक/2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उदय योजना के अन्तर्गत भविष्य में होने वाली परिचालकीय हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त राजस्व अनुदान की वित्तीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त राजस्व अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 2200,00,00,000/- (रूपये दो हजार दो सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण दिनांक 21 जनवरी, 2021 के पूर्व नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त भाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-05-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 289 /दस - 2020, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-02/2021/1864(1)/24-1-20, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in